

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना, कानपुर जोन, कानपुर।

- 1- कानपुर जोन, कानपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी प्रधान लिपिक को बनाया गया है।
- 2- जनसूचना अधिकारी की शक्तियों/कार्य:- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आन्तरित किया जाता है।
- 3- प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको सम्बन्धित परिक्षेत्र व जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) अन्तर्गत आन्तरित कर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाता है।
- 4- विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाएँ को सम्बन्धित जनपदों से समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाता है।
- 5- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना व कराना।
- 6- दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:
 - मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - शासन/अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - अपीलीय प्रार्थना पत्र।
- 7- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 8- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 9- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
- 10- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

12- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

13- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

14- संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण-शून्य

15- इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना- उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

16- लोकसूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम-अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	पदनाम	कार्य
1	प्रधान लिपिक/ जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित परिक्षेत्रों/जनपदों को आन्तरित किया जाता है।
2	मुख्य आरक्षी ना०पु०	समस्त अभिलेखों का रख-रखाव कराना, आलेख प्रस्तुत करना व अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को अद्यतन करना।

17- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।